डीपीबी 03112/11/0004/2021

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गोण्डा

पत्रांक : कृ0उ0म0स0गो0 / 2020 / 417 दिनांक : 17.12.2020

दुकान आवंटन नीलामी सूचना

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गोण्डा के नवीन फल / सब्जी मण्डी स्थल उतरौला रोड गोण्डा में निर्मित सुपर मार्केट की 12 दुकानों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उन निर्मित 12 दुकानों की नीलामी / आवंटन हेतु उपनिदेशक (प्रशा0 / वि0) मण्डी परिषद अयोध्या सम्भाग अयोध्या के निर्देशानुसार नीलामी से अवशेष दुकानों की नीलामी हेतु सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.12.2020 को समय पूर्वान्ह 12.00 बजे नवीन फल / सब्जी मण्डी गोण्डा में नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न की जायगी।

नीलामी हेतु अवशेष दुकानों से सम्बन्धित विवरण / तालिका

स्थल का नाम	दुकान की श्रेणी	कुल दुकानों की संख्या	दुकान का आरक्षण स्थिति			
			अनु0 जाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
फल / सब्जी मण्डी सुपर मार्केट	सुपर मार्केट	12	11,15	12,14,16,18	09,13,17,19	10,20

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुपर मार्केट की अवशेष 12 दुकानों की नीलामी / आवंटन में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति मण्डी समिति कार्यालय गोण्डा में दिनांक 18.12.2020 से 26.12.2020 तक दुकान नीलामी / आवंटन सम्बन्धी प्रपत्र रु0 250.00 व 15 प्रतिशत जी0एस0टी0 रु0 45.00 (कुल रु0 295.00) नगद जमा कर प्राप्त करें और नीलामी हेतु प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित शर्तों को पूर्ण करते हुये मण्डी समिति गोण्डा के कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा तीन दिन आपत्ति जमा करने के होगें। आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को आरक्षण के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी देना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को दुकानों के लागत मूल्य के 10 प्रतिशत तथा जिलाधिकारी सर्विल रेट धनराशि प्रतिभूति के रुप में लगभग 1,30,400.00 रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट ए0पी0एम0सी0 गोण्डा के नाम बनवाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। नीलामी लागत मूल्य से प्रारम्भ होगी अन्तिम बोलीदाता को प्रीमियम की धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वार्षिक यूजर चार्ज व जी0एस0टी0 सहित तत्काल जमा करने के पश्चात ही बोली मान्य होगी अन्यथा बोली दाता की बोली स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा प्रतिभूति की धनराशि समिति द्वारा जब्त कर ली जायेगी। दुकान आवंटन नीलामी में भाग लेने हेतु दिनांक 30.12.2020 को पूर्वान्ह 12.00 बजे दिन बुधवार को नवीन फल / सब्जी मण्डी स्थल गोण्डा में उपस्थित हों। दुकान के आवंटन हेतु शर्तें तथा अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो कृषि उत्पादन मण्डी समिति गोण्डा के कार्यालय से सम्पर्क करें। अन्य शर्तें दुकान आवंटन नीलामी फार्म के साथ संलग्न है।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
गोण्डा

सभापति / नगर मजिस्ट्रेट
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
गोण्डा